## न्यायालय- सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला जिला बैतूल (म0प्र0) (पीठासीन अधिकारी- धन कुमार कुड़ोपा)

<u>व्यवहार वाद कं.08ए/13</u> <u>संस्थापित दिनांक 02-02-13</u> फाई लिंग नम्बर 233504000302013

- 1. किसन व0 भूरा उम्र 65 वर्ष, जाति गोंड, पेशा कृषि, सा0 रतेडाखुर्द, तह0 आमला, जिला बैतूल, (मृत) के निम्न वारसानगण है:— अ. सगनी बेवा किसन, जाति गोंड, उम्र लगभग 65 वर्ष, ब. संतु व0 स्व.किसन, जाति गोंड, उम्र लगभग 45 वर्ष, स. बबलू व0 स्व.किसन, जाति गोंड, उम्र लगभग 35 वर्ष, द. रामिकशोर व0 किसन, जाति गोंड, उम्र लगभग 32 वर्ष, क. परसराम व0 स्व.किसन, जाति गोंड, उम्र लगभग 30 वर्ष, ख. कमला पिता स्व. किसन, जाति गोंड, उम्र लगभग 28 वर्ष, ग. कमलती पिता स्व.किसन, जाति गोंड, उम्र लगभग 26 वर्ष, सभी निवासी ग्राम रतेड़ाखुर्द, तह0आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),
- 2. फकीरिया व0 फदाली, उम्र 85 वर्ष, जाति गोंड, पेशा कृषि, सा०रतेड़ाखुर्द, तह0आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),
- 3. जोगी व0 फदाली, उम्र 80 वर्ष, जाति गोंड, पेशा कृषि, सा0रतेड़ाखुर्द, तह0आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),
- 4. सम्पत व0 मानसिंग, उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड, पेशा कृषि, सा0 मंगारा, तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),
- 5. रूकचन्द व0 मानसिंग, उम्र 37 वर्ष, जाति गोंड, पेशा कृषि, सा0 मंगारा, तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),
- 6. श्रीमति चुट्टू जौ०सुग्गा, उम्र 68 वर्ष, जाति गोंड, पेशा कृषि, सा० जमदेहीकला, तह० आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

वादीगण.

## -: <u>बनाम</u>:--

- श्रीमति रामवती बे०कबीर उम्र 25 वर्ष, जाति गोंड, पेशा कृषि, द्वारा—जीवतिलाल गोंड,सा०रतेड़ाखुर्द, तह०आमला, जिला बैतूल (म०प्र०),
- 2. पियूष व0 कबीर, उम्र 3 वर्ष, जाति गोंड, नाबा.वली मां श्रीमित रामवती बे0 कबीर, पेशा कृषि, द्वारा—जीवतिलाल गोंड,सा०रतेड़ाखुर्द, तह0आमला, जिला बैतूल (म0प्र0), सा०रतेड़ाखुर्द, तह0आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),
- 3. पूनम पुत्री कबीर उम्र 1 वर्ष, जाति गोंड, नाबा.वली श्रीमति रामवती बे0कबीर, पेशा कृषि, द्वारा—जीवतिलाल गोंड,सा0रतेड़ाखुर्द, तह0आमला, जिला बैतूल (म0प्र0), सा0रतेड़ाखुर्द, तह0आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),

- 4. किसनु व0 भूरा उम्र 62 वर्ष, जाति गोंड, पेशा कृषि, सा0 बंजारीढ़ाल, तह0 आमला, जिला बैतूल(म0प्र0),
- 5. म.प्र.शासन, द्वारा कलेक्टर बैतूल, जिला बैतूल (म०प्र०)
- 6. राजेश व0 शंभूलाल वट्टी, जाति गोंड, उम्र 34 वर्ष, नि0ग्राम अमनी, तह0 आमला, जिला बैतूल,
- 7. सुकाली पिता शंभूलाल वट्टी, जाति गोंड, उम्र 32 वर्ष, नि0ग्राम अमनी, तह0 आमला, जिला बैतूल,
- 8. शिवदयाल पिता शंभूलाल वट्टी, जाति गोंड, उम्र 28 वर्ष, नि0ग्राम अमनी, तह0 आमला, जिला बैतूल, (म0प्र0)

..--- प्रतिवादीगण.

## -: <u>वार्षिक नेशनल लोक अदालत आदेश</u> :-(आज दिनांक 12/11/16 को पारित)

1— वादीगण ने विवादित भूमि ग्राम रतेडा खुर्द तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं. 48 रकबा 0.348 खसरा नं. 147 रकबा 2.023 खसरा नं. 191 रकबा 5.589 कुल रकबा 7.960 हे0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कं. 4 की खानदानी भूमि होकर उसके स्वत्व आधिपत्य की है। तहसील न्यायालय आमला द्वारा वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी कं 1 के पित एवं प्रति0 कं0 2 व 3 के पिता कबीर के पक्ष में की गई नामांतरण कार्यवाही एवं एकपक्षीय आदेश दिनांक 30/06/12 को अवैध एवं शून्य होकर वादीगण पर बंधनकारी नहीं है एवं विवादित भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने प्रकरण में पूर्व से एकपक्षीय म.प्र.शासन प्रति.कं.5 एवं प्रति.कं.4-किसनु को छोड़कर न्यायालय के समक्ष लिखित राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार मौजा रतेड़ाखुर्द, तह० आमला, जिला बैतूल स्थित कृषिभूमि क्रमशः ख.नं.४८, 187, 191 का रकबा क्रंमशः 0.348, 2.023, 5.589 हे0 कूल रकबा 7.960 हेक्टे0 अर्थात कूल 19 एकड 74 डिसमिल, जमा 5/-(पांच) रूपये को लेकर वाद इस न्यायालय में विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहेते दि.22.03.14 को वादी कं.2 फकीरिया लाओलाद निर्वसीयत फौत होने से समस्त वादीगण एवं प्रति.ं.1 से 4 उसके विधिक वारसान होकर पूर्व से अभिलेख पर है, जिन्हें मृत वादी कं.2 फकीरिया का अंश समाहित हो चूका है। उभयपक्ष के मध्य इस राजीनामा आवेदन में उपरोक्त वर्णित अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में पूर्व से एकपक्षीय प्रति.कं.4 का अंश छोडकर शेष वादग्रस्त कृषिभूमियों के संबंध में उभयपक्षों के मध्य बिना किसी धाकदबाव एवं बिना किसी लेनदेन के आपसी राजीनामा उभयपक्षों की सहमति से हो गया है, जिसका विवरण इस प्रकार किशन(मृत) के विधिक कं.1 वारसान 1'अ','ब','स','द','क','ख','ग' है, जिनमें से वादी कं.1'स' बबलू को छोड़कर वादी कं.1 किशन (मृत) के शेष समस्त वारसान को संयुक्त रूप से 1.21 हे0 अर्थात् 3 एकड़ कृषिभूमि प्राप्त होगी।, 2-वादी कं.3 जोगी व0फदाली को 2.21 हे0 अर्थात् साढ़े पांच एकड़ कृषिभूमि प्राप्त होगी।, 3-वादी कं.1'स' बबलू को 1.00 हे0 अर्थात 2 एकड़ 50 डिसमिल कृषिभूमि प्राप्त होगी।, 4-वादी क्रं.4 सम्पत, 5 रूकचंद, 6 चुट्टू को संयुक्त रूप से 0.24 हे0 कृषिभूमि प्राप्त होगी।, 5-प्रति.कं.1,2,3,6,7,8 को 2.82 हे0 अर्थात ७ एकड़ कृषिभूमि प्राप्त होगी, जिसमें से प्रति.कं.1,2,3 को 0.405 हे0(एक एकड) भूमि प्राप्त होगी।, 6-प्रति.कं.4 का अंश 0.604 हे0 अर्थात देड एकड़ कृषिभूमि उसके हक हिस्से की होने से उक्त भूमि प्रति.कं.4 के लिये छोड़ी गई है। 7-प्रति.कं.1,2 व 3 द्वारा प्रति.कं.6, 7 व 8 को कंडिका 1 में से पंजीयत विकयपत्र दि.24.9.16 द्वारा विकित भूमि का विकयपत्र केवल इस राजीनामा की कंडिका 3 की उपकंडिका 5 में दिये गये विवरण के अनुसार राजस्व न्यायालय से बंटवारा कराने के पश्चात प्रतिवादीगण कं.6, 7 व 8 को प्राप्त भूमि की सीमा तक ही मान्य होगा। राजस्व न्यायालय से बंटवारे में प्रतिवादीगण कं.6, 7 व 8 को प्राप्त भूमि के पश्चात् विक्यपत्र में उल्लेखित शेष बची भूमि के संबंध में विक्यपत्र शून्य माना जायेगा। उभयपक्ष उक्त राजीनामे अनुसार उन्हें प्राप्त भूमियों पर राजस्व अभिलेखों में अपना नामांतरण करवा लेवेंगे, जिसमें किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं रहेगी। उभयपक्ष इस कार्य में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। उभयपक्ष के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। उभयपक्ष इस राजीनामा आवेदन के आधार पर प्रकरण जयपत्रित किया जाकर नस्ती करवाना चाहते है। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार कर उभयपक्षों के मध्य हुये राजीनामा अनुसार जयपत्रित किये जाने का निवेदन किया गया है।

- 3— वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों ने आज आयोजित वार्षिक नेशनल लोक अदालत के माध्यम से स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा स्वीकार किया है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री वेदप्रकाश साहू द्वारा की गई। 4— राजीनामा आवेदन पत्र विधिपूर्ण होने से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। राजीनामा आवेदन के अनुसार प्रकरण का निराकरण करते हुये निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है:—
- 1. यह घोषित किया जाता हैं कि उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा अनुसार विवादित भूमि में से वादी कं. 1 किशन (मृत) के विधिक वारसानगण वादीगण कं. 1 'अ', 'ब', 'स', 'द', 'क', 'ख', 'ग' है, जिनमें से वादी कं.1 'स'—बबलू को छोड़कर वादी कं. 1 किशन (मृत) के शेष समस्त वारसान को संयुक्त रूप से 1.21 हे0 अर्थात् 3 एकड़ कृषि भूमि प्राप्त होगी।
- 2. यह भी घोषित किया जाता है कि विवादित भूमि में से वादी कं.3 जोगी व0फदाली को 3 एकड़ एवं रोटिया उर्फ इमरत पिता जोगी को 2. 50 एकड़ कृषि भूमि प्राप्त होगी एवं वादी कं.1 'स' बबलू को 1.00 हे0 अर्थात (2 एकड़ 50 डिसमिल) कृषि भूमि प्राप्त होगी।, वादी कं.4 सम्पत, 5 रूकचंद, 6 चुट्टू को संयुक्त रूप से 0.24 हे0 कृषि भूमि प्राप्त होगी।
  - 3. यह घोषित किया जाता है कि विवादित भूमि में से प्रति.कं.

1,2,3,6,7,8 को 2.82 हे0 अर्थात ७ एकड़ कृषि भूमि प्राप्त होगी, जिसमें से प्रति.कं. 1,2,3 को 0.405 हे0 (एक एकड) भूमि प्राप्त होगी।,

- 4. यह घोषित किया जाता है कि विवादित भूमि में से प्रति.कं. 4 का अंश 0.604 हे0 अर्थात देड़ एकड़ कृषि भूमि उसके हक हिस्से की होने से उक्त भूमि प्रति.कं. 4 के लिये छोड़ी गई है।,
- 5. यह घोषित किया जाता है कि विवादित भूमि में से प्रति.कं. 1, 2 व 3 द्वारा प्रति.कं. 6, 7 व 8 को कंडिका 1 में से पंजीयत विकय पत्र दि. 24.9.16 द्वारा विकित भूमि का विकय पत्र केवल इस राजीनामा की कंडिका 3 की उपकंडिका 5 में दिये गये विवरण के अनुसार राजस्व न्यायालय से बंटवारा कराने के पश्चात् प्रतिवादीगण कं.6, 7 व 8 को प्राप्त भूमि की सीमा तक ही मान्य होगा। राजस्व न्यायालय से बंटवारे में प्रतिवादीगण कं.6, 7 व 8 को प्राप्त भूमि के पश्चात् विकयपत्र में उल्लेखित शेष बची भूमि के संबंध में विकयपत्र शून्य माना जायेगा।
- 6. उभयपक्ष तहसील न्यायालय आमला उपस्थित होकर विवादित भूमि ग्राम रतेड़ा खुर्द तहसील आमला, जिला बैतूल स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 48 रकबा 0.34 हे0 खसरा नं. 187 रकबा 2.023 हे0 खसरा नं. 191 रकबा 5.589 हे0 कुल रकबा 7.960 हे0 (अर्थात् कुल 19 एकड 74 डिसमिल भूमि) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार नामांतरण एवं बटवांरा कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- 7. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र डिक्री का अभिन्न भाग होगा।
  - 8. उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय नियमानुसार वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया । मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर पर टंकित किया गया ।

(धनकुमार कुडोपा) सिविल न्यायाधीश वर्ग—2 आमला, जिला बैतूल,म.प्र. (धनकुमार कुडोपा) सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 आमला, जिला बैतूल,म.प्र.